Autonomy to the States

369. SHRI S. S. SURJEWALA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government propose to provide more autonomy to the States in the matter of administration, financial affairs and political matters, if so, the details thereof; and

(b) whether Government propose to bring a legislation to incorporate the measure for autonomy in the functioning of the State Governments during the current session of Parliament?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI MOHD. MAQBOOL DAR): (a) and (b) The recommendations of the Sarkaria Commission on Centre-State Relations relating to the legislative, administrative and financial matters, etc. are being considered by the Sub-Committee appointed by the Inter-State Council. The Sub-Committee has so far considered 190 out of 247 recommendations. The remaining recommendations are yet to be finalised by the Sub-Committee. After consideration by the Sub-Committee, these recommendations will be placed before the Inter-State Council for consideration. The views of the Inter-State Council, thereafter, will be submitted to the Government for its consideration and decision.

रायगढ़ जिले के जशपुर नगर में डाकघरों में जपाराशियों के भुगतान में विलम्ब किया जाना

370. श्री दिलीप सिंह जूदेवः क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मध्य प्रदेश में रायगढ़ जिले के जशपुर नगर क्षेत्र में 31 जुलाई, 1996 की स्थिति के अनुसार कुल कितने जाकपर किन-किन स्थानों पर स्थिष्ठ है:

(ख) इनमें से प्रत्येक डाकमर के लिए धनग्रांश के आहरण तथा वितरण के संबंध में कितनी वार्षिक अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है;

 (ग) क्या इन डाकघरों में ऐसी अधिकतम सीमा के कारण घनादेशों तथा जमाराशियों सहित अचत पत्रों की यशि का भुगतान करने में विलम्ब हो रहा है, यदि हो, तो इस कठिनाई को दूर करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौग क्या है: और

(घ) जशपुर नगर क्षेत्र के डाक्घरों में घनादेशों, बचत खातों तथा बचत पत्रों से संबंधित उन जमा-राशियों का ब्यौरा क्या है जिनका वर्ष 1993-94 के दौरान इस संबंध में अनुरोध किए जाने के बावजूद समय पर भगतान नहीं किया जा सका है?

संचार मंत्री (श्री बेनीप्रसाद वर्मा): (क) जशपुर नगर क्षेत्र में, आज की तारीख तक, 11 विभागीय उप डाकघर और 111 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर है। ये डाकघर जिन स्थानों पर हैं, उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है (नीचे देखिए)

(ख) धनगरींग निकालने तथा वितरण करने के बारे में कोई वार्षिक अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है।

(ग) जी नहीं। इन डाकधरों में किसी वित्तीय सीमा के कारण बचत-पत्रों, बचत खातों और मनीआईरों के भुगतान में विलम्ब नहीं हो रहा है।

(घ) वर्ष 1993-94 के दौरान जशपुर क्षेत्र के डाकघरों में, ऐसी कोई मामला नहीं था जिसमें बचत खातों और बचत पत्रों का भुगतान करने के लिए अनुरोध करने के बावजूद भुगतान न किया गया हो।

विवरण

जिला रायगढ़ (मध्य प्रदेश) के जशपुर नगर क्षेत्र में 31.7.1996 की स्थिति के अनुसार डाकघरों की कुल संख्या तथा स्थानों के नाम जलां वे स्थित हैं।

विभागीय उप डाकघर

- 1. बगीचा
- 2. दुलदुला
- 3. फरसाबाबर
- 4. घोलंग
- जशपुर नगर
- 6. केनसबोल
- 7. कुंकुरी
- 8. लावाकेरा
- 9. मनोरा
- 10. सन्न
- 11. तापकारा

अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर

- 1, ৰন্তয়ন
- भीलघारा
- 3. बिमडा